8. बस चालकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये ।

9 उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को 4 भागों में विभक्त किया जाना आवश्यक है, तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक पृथक् परिवहन निगम बनाया जाना चाहिये ।

(vi) NEED TO ESTABLISH A POWERFUL T.V. STATION IN JABALPUR (MADHYA PRADESH)

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का मध्य बिन्दु जबलपुर जिला है । परकीय आक्रमण की दृष्टि से अत्यन्त सुरक्षित स्थान है, इस रूप में अंग्रेजों ने इसका उपयोग किया तथा अनेकों सुरक्षा संस्थानों की स्थापना की । स्वतंत्रता के पश्चात् इस कड़ी में, भारत शासन द्वारा व्हीकल फैक्टरी का निर्माण किया गया । आज लगभग एक लाख कर्मचारी इन सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं । थल सेना के अनेकों प्रशिक्षण संस्थान तथा पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के भी प्रशिक्षण संस्थान तथा फैक्टरी यहां पर कार्यरत हैं ।

जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का यह दूसरा शहर है । मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय भी जबलपुर में स्थित है । शिक्षा की दृष्टि से जबलपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आज यहां दो विश्वविद्यालय हैं तथा लगभग एक लाख विद्यार्थी इस संस्कारधानी में अभ्यासरत रहते हैं । आकाशवाणी की सुविधा भी यहां उपलब्ध है ।

मध्यप्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से छोटे स्थान भोपाल तथा रायपुर को टी०वी० की सुविधा पहले से ही उपलब्ध हो चुकी है, परन्तु जबलपुर अभी तक वंचित है ।

ज्ञात हुआ है कि भारत शासन द्वारा निकट भविष्य में टी०वी० के विस्तार की योजना बनाई है तथा जनसंख्या में जबलपुर से छोटे तथा कम महत्व के नगरों का समावेश इसमें किया गया है, परन्तु जबलपुर को इस योजना से दूर रखा गया है ।

यदि जबलपुर में टी. वी. की स्थापना की जाये तो सिर्फ जबलपुर जिले को ही नहीं अपितु लगे हुए मण्डला, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह तथा सतना जिलों को भी इसका लाभ मिल सकेगा । लगभग चालीस लाख जनता जिसमें बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की है, प्रभावित होगी ।

अतएव भारत शासन से अनुरोध है कि जबलपुर को भी आगामी विस्तार योजना में सम्मिलित कर 2 अक्तूबर, 1983 (गांधी जयन्ती) से हाई पावर टी. वी का शुभारम्भ किया जाये ।

STATUTORY RESOLUTION RE-DISAPPROVAL OF SOCIETIES REGISTRATION (DELHI AMENDMENT) ORDINANCE

AND

SOCIETIES REGISTRATION (DELHI AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now the House shall take up item no. 8 (Statutory Resolution) and item no. 9 together. Shri Shejwalkar.

SHRI N.K. SHEJWALKAR (Gwalior) : I beg to move the following resolution :-